

Topic:- Formation of League of Nations
(लीग ऑफ नेशंस का गठन)

प्रस्तावना:-

प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) में विश्व को जन-जन की दार्शनिक पहुँचाई। युद्ध की विभीषिका में यह स्पष्ट कर दिया कि अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संगठन आवश्यक है। इसी आवश्यकता की वजह से लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ।

लीग ऑफ नेशंस का विचार युद्ध के दौरान ही उभरने लगा था। अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने इस विचार को ठोस रूप दिया। जनवरी 1918 में विल्सन ने अपने प्रसिद्ध चौदह सूत्र (Fourteen Points) प्रस्तुत किए। 14वाँ सूत्र एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना से संबंधित था, जो राष्ट्रों की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा कर सके।

प्रथम विश्व युद्ध 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित हुआ। इसी सम्मेलन में लीग ऑफ नेशंस के गठन पर गंभीर विचार-विमर्श हुआ। सम्मेलन में एक विशेष समिति बनाई गई, जिसने लीग ऑफ नेशंस के संविधान (Covenant) का प्रारूप तैयार किया।

संविधान (Covenant) का निर्माण:-

लीग ऑफ नेशंस का संविधान कुल 26 अनुच्छेदों में तैयार किया गया। यह संविधान बर्लिन संधि (Treaty of Versailles) का अभिन्न अंग था। 28 अप्रैल 1919 को संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया।

10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस औपचारिक रूप से अस्तित्व में आई।